संख्या–3855 / 9–आ–1–2000

प्रेषक

श्री संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त उपाध्यक्ष,**
   विकास प्राधिकरण,
2. **आवास आयुक्त,**
   उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 28 अगस्त, 2000

विषय :स्वैच्छिक शमन उपविधि के प्रयोजन हेतु ''निर्मित भवन'' की व्याख्या स्पष्ट किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 4167 / 9–आ–98 दिनांक 24.10.1998 द्वारा जारी विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) (द्वितीय संशोधन), उपविधि, 1998 की टिप्पणी–2 के अनुसार शमन हेतु आवेदन केवल उन्हीं भवनों के सम्बन्ध में स्वीकार्य रखे गए हैं जो इस संशोधन उपविधि के लागू होने की तिथि तक ''निर्मित'' हो चुके हैं। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि ''निर्मित'' भवन के सम्बन्ध में कतिपय विकास प्राधिकरणों द्वारा भ्रामक स्थिति उत्पन्न की जा रही है जिसके फलस्वरूप स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत प्राप्त कई आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिए गए हैं / किए जा रहे हैं, कि भवन पूर्णतः निर्मित नहीं है। परिणामस्वरूप कई आवेदकों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–2 (बी) में निहित 'भवन' की परिभाषा के दृष्टिगत शमन के प्रयोजन हेतु ''निर्मित भवन'' का तात्पर्य निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :–

(i) भवन का तात्पर्य संरचना अथवा erection या उसके भाग जो वास्तविक उपयोग में हो अथवा नहीं, से है।

(ii) यदि भवन मतमबजमक है और विद्यमान संरचना के अनुसार भू–आच्छादन तथा एफ0ए0आर0 कमपिदमक हैं और उसमें जिस भाग की कम्पाउण्डिंग होनी है, यदि वह निर्मित हो चुका है, तो ऐसे भवन को ''निर्मित भवन'' माना जाएगा भले ही उसमें प्लास्टरिंग, सैनेट्री कार्य, विद्युत–कार्य, दरवाजे एवं खिड़कियां तथा पेन्टिंग आदि का कार्य पूर्ण हुआ हो अथवा नहीं।

3. कृपया स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण उपरोक्त स्पष्टीकरण के अनुसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या–3855(1) / 9–आ–1–2000 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।